



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 95/2019
GST Circular No. 2/2019
Most Immediate
GST Matter

No. 2017/AC-II/1/6/GST/Main/Vol.III

14th October, 2019

General Managers
All Zonal Railways/ Production Units / CRIS

Sub: GST Update –Change in GST rules with respect to Input tax credit reconciliations

Central Board of Indirect tax and Customs has issued notification no. 49/2019-Central Tax dated 09th October, 2019 which further amends the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

By way of issuance of the said notification, below mentioned sub-rule (4) has been added to rule 36 with respect to claiming of input tax credit:

“(4) Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37, shall not exceed 20 per cent. of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes the details of which have been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37.”

In terms of the above rules, Input Tax Credit (ITC) in respect of invoices/ debit notes not uploaded by supplier in their GSTR-1 is restricted to 20% of the eligible credit available in respect of invoices/ debit notes which have been uploaded by the suppliers in their GSTR-1.

Details of supplies reported by suppliers in Form GSTR-1 gets auto-populated in Form GSTR-2A of Indian Railways ('IR'). This restriction of availing maximum 20% ITC would now mandate reconciliation of ITC in Form GSTR-2A and procurements data in IPAS/Manual utility/ any other system on a monthly basis.

Therefore, it would be crucial for CRIS/ Velocis to perform the ITC reconciliation before filing the GSTR-3B for every month. It is to be noted that the above provisions are effective immediately, thus, the reconciliation need to be performed for Sep'19 month GSTR-3B onwards.

1/2

The above provisions and requirements have been explained with below instance:

Instance: IR recorded procurements in the month of September, 2019 for value of Rs. 1,00,00,000 which has input tax amount of Rs. 20,00,000 (assuming procured at different GST rate of 5%, 12%, 18% and 28%). This input tax amount is recorded in system in below categories:

S. No.	Category of ITC in System	Input Tax amount	Eligible ITC	Remarks
1	T1	1,00,000	-	Ineligible ITC category
2	T2	50,000	-	Ineligible ITC category
3	T3	50,000	-	Ineligible ITC category
4	C2	10,00,000	5,00,000	Assuming 50% is ineligible ITC towards exempted supply (CRIS/Velocis vouch this percentage basis every month data)
5	T4	8,00,000	8,00,000	Fully eligible ITC category
Total		20,00,000	13,00,000	

As brought out in the above table, IR is eligible to claim ITC of Rs. 13,00,000 out of total Rs. 20,00,000 paid to suppliers during the months basis tax invoices/debit notes received. However, this needs to be checked whether all the invoices/ debit notes pertaining to this Rs. 13,00,000 are present in the GSTR-2A data on GSTN portal. If it is assumed, based on the reconciliation performed it is found out that GSTR-2A has invoice details pertaining to Rs. 8,00,000 only and invoices for balance Rs. 5,00,000 has not been uploaded by suppliers, then, IR will be eligible to avail only Rs. 1,60,000 out of Rs. 5,00,000 for which invoices not uploaded by suppliers in their GSTR-1 returns. (Rs. 1,60,000 has been computed as 20% of Rs. 8,00,000 i.e. 20% of eligible ITC for which invoices uploaded in GSTR-1 by suppliers). Thus total ITC that can be adjusted for the month would be Rs. 8,00,000/- + Rs. 1,60,000/- (20% of Rs. 8,00,000/-). However, we may have to review the mismatch of ITC data concurrently and ensure that the GSTR-2A matches with the expenditure data. Strict compliance of the above may be ensured.

(Anjali Goyal)
Principal Executive Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board.
4. Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director/Finance, CRIS, New Delhi.
6. GM/GSTM, CRIS, New Delhi.

2 / 2

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 95/2019
जीएसटी परिपत्र सं. 27/2019

अति तत्काल
जीएसटी मामला

सं. 2017/एसी-II/1/6/जीएसटी/मेन/वालयूम III

दिनांक 14.10.2019

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां/क्रिस

विषय: जीएसटी में सुधार - इनपुट टैक्स क्रेडिट के समाधान से संबंधित जीएसटी नियमों में परिवर्तन।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचना सं. 49/2019-केन्द्रीय कर जारी की गई है जिसके द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में और संशोधन किया गया है।

उक्त अधिसूचना जारी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के संबंध में नियम 36 में निम्नलिखित उपनियम (4) जोड़ा गया है:

"किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उन बीजकों या डेबिट नोट्स के संबंध में उपयोग किया जाने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिनके ब्यौरे आपूर्तिकर्ता द्वारा धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपलोड नहीं किए गए हैं, उन बीजकों या डेबिट नोट्स के संबंध में उपलब्ध ग्राह्य क्रेडिट के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिनके ब्यौरे धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड किए गए हैं।"

उपर्युक्त नियमों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके जीएसटीआर-1 में अपलोड नहीं किए गए बीजकों/डेबिट नोट्स के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके जीएसटीआर-1 में अपलोड किए गए बीजकों/डेबिट नोट्स के संबंध में उपलब्ध ग्राह्य क्रेडिट के 20% तक सीमित रखा गया है।

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फार्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत आपूर्तियों के ब्यौरे भारतीय रेल (आईआर) के फार्म जीएसटीआर-2ए में स्वतः प्रतिपूरित हो जाते हैं। अधिकतम 20% आईटीसी प्राप्त करने की इस सीमा के लिए अब मासिक आधार पर फार्म जीएसटीआर-2ए और में आईटीसी और आईपीएस/मैन्यूअल यूटिलिटी/किसी अन्य सिस्टम में प्रापण डाटा का मिलान करना अनिवार्य होगा।

इसलिए, क्रिस/वेलोसिस को प्रत्येक माह जीएसटीआर-3बी फाइल करने से पहले आईटीसी का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि उपर्युक्त प्रावधान तत्काल रूप से प्रभावी हैं, इसलिए सितम्बर, 19 माह के जीएसटीआर-3बी से समाधान करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त प्रावधानों और अपेक्षाओं को नीचे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट किया गया है:

उदाहरण: भारतीय रेल ने सितम्बर, 2019 माह में 1,00,00,000 रुपए मूल्य का प्रापण दर्ज किया जिसकी 20,00,000 रुपए की इनपुट टैक्स राशि (5%, 12%, 18% और 28% की विभिन्न जीएसटी दर प्रापण मानकर) है। इस इनपुट टैक्स राशि को निम्न कोटियों में सिस्टम में दर्ज किया जाता है:

क्र. सं.	सिस्टम में आईटीसी की कोटि	इनपुट टैक्स राशि	ग्राह्य आईटीसी	टिप्पणी
1	टी1	1,00,000	-	अग्राह्य आईटीसी कोटि
2	टी2	50,000	-	अग्राह्य आईटीसी कोटि
3	टी3	50,000	-	अग्राह्य आईटीसी कोटि
4	सी2	10,00,000	5,00,000	छूट प्राप्त आपूर्ति के तहत 50% अग्राह्य आईटीसी मानते हुए (क्रिस/वेलोसिस प्रत्येक माह इस प्रतिशत को प्रमाणित करेंगे)
5	टी4	8,00,000	8,00,000	पूर्णतया ग्राह्य आईटीसी कोटि
कुल		20,00,000	13,00,000	

जैसाकि ऊपर तालिका से स्पष्ट है, भारतीय रेल प्राप्त मासिक आधार पर कर बीजकों/डेबिट नोट्स के दौरान कुल 20,00,000 रुपए में से आपूर्तिकर्ताओं को 13,00,000 रुपए का आईटीसी का दावा करने की पात्र है। बहरहाल, इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि इस 13,00,000 रुपए से संबंधित सभी बीजक/डेबिट नोट जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-2ए डाटा में उपलब्ध हैं अथवा नहीं। यदि किए गए समाधान के आधार पर यह मान लिया जाए तो यह पाया जाता है कि जीएसटीआर-2ए में केवल 8,00,000 रुपए से संबंधित बीजक के ब्यौरे हैं और शेष 5,00,000 रुपए के बीजक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड नहीं किए गए हैं, तब भारतीय रेल 5,00,000 रुपए में से केवल 1,60,000 रुपए जिसके लिए उनके जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बीजक अपलोड नहीं किए गए हैं, प्राप्त करने के लिए पात्र है। (1,60,000 रुपए की गणना 8,00,000 रुपए का 20% अर्थात् उन पात्र आईटीसी जिनके लिए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1 में बीजक अपलोड किए गए थे)। इस प्रकार, कुल आईटीसी जिसे माह के दौरान समायोजित किया जा सकता है, 8,00,000 रुपए + 1,60,000 रुपए (8,00,000 रुपए का 20%) होगा। बहरहाल, हमें साथ-साथ आईटीसी डाटा के बेमेल होने की समीक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटीआर-2ए व्यय आकड़ों से मेल करते हैं। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।



(अंजली गोयल)

प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रमुख वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
2. रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक
3. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक
4. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली
5. निदेशक/वित्त, क्रिस नई दिल्ली
6. महाप्रबंधक/जीएसटीएम, क्रिस, नई दिल्ली.